

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224239
SG-DL-E-06012021-224239

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 259
No. 4]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942	[N. C. T. D. No. 259

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 जनवरी, 2021

सं. 57/2020-राज्य कर

फा. सं. 03(72)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/10.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं० 76/2018-राज्य कर, 3 सितम्बर, 2019, जिसे सं० फा० 03(36)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-IV/399, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुकों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जोकि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4)

में उल्लिखित शर्त के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय केन्द्रीय कर कि राशि शून्य है:

परंतु यह भी कि उन कर दाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जोकि नियत तारीख तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहाँ कुल देय राज्य कर कि राशि शून्य है।”।

2. यह अधिसूचना 25 जून 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार, उप सचिव- IV (वित्त)

नोट: मूल अधिसूचना सं० 76/2018-राज्य कर, दिनांक 3 सितम्बर, 2019, जो सं०फा० 03(36)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस- IV/399, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और जिसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 52/2020-राज्य कर, दिनांक 19/11/2020 द्वारा किया गया था, जो सं०फा० 03(59)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस- IV/164, दिनांक 19/11/2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th January, 2021

No. 57/2020- State Tax

No. F.3 (72)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS- IV/10.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No. 76/2018- State Tax, dated the 3rd September, 2019, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV vide number F.3 (36)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd September, 2019, namely:—

In the said notification, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: —

“Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil:

Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil.”.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance)

Note: The principal notification No. 76/2018-State Tax, dated the 3rd September, 2019 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV *vide* number F.3 (36)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd September, 2019 and was last amended *vide* notification number 52/2020 – State Tax, dated the 19/11/2020, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV *vide* number F3(59)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS- IV /164, dated the 19/11/ 2020.